>

Title: Need to extend the benefits of Schedule Tribes and other Forest Dwellers Act, 2006 to the people of Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, आज अंडमान की डिगलीपुर तहसील में एक बहुत बड़ा धरना हुआ और वहां आंदोलन हुआ। सन् 2006 में संविधान में शेडयूल ट्राइब एंड अदर फोरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट मुताबिक एक कानून पारित हुआ था कि जंगल में जहां कोई बैठा है, उसे जमीन वहीं पर मिलेगी। लेकिन उस तरह से अंडमान-निकोबार को अधिकार नहीं मिला, वह किसी कारण से छूट गया था। अंडमान-निकोबार में जो लोग बैठे हैं, मुंडा, उरांव, खड़िया आदिवासी होते हुए भी, इन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, बाकी जो तमिल, तेलुगू, बंगाली आदि ड्वेलर्स थे, उनके लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया गया कि उसे प्रमाण देना पड़ेगा कि वह 1930 से जंगल में बैठा है, जब कि सन् 1930 में अंडमान आजाद ही नहीं हुआ था तो वह प्रमाण कहां से लाएगा। उसके पश्चात् 7 मई, 2002 को सुप्रीम कोर्ट में आर्डर हुआ। उसी मुताबिक आज अंडमान में 4312 ऐसे परिवार हैं, जो सचमुच प्री 78 फोरेस्ट एनकोचर हैं, उन्हें पोस्ट 78 बनाया गया। आज उन्हें उस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सन् 1986 में स्व. श्री राजीव गांधी जी ने आईडीए मीटिंग में पारित किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग जंगल में 1978 के पहले बैठे हैं, उन्हें साढ़े सात बीघा जमीन मिलेगी, लेकिन सर्वे के नाम पर गलत हुआ। प्री 78 को पोस्ट 78 बनाया गया, उसके परिणामस्वरूप आज 4300 परिवार असहाय बन चुके हैं और जो लोग जंगल में बैठे थे, वहां से उन्हें निकाल कर डी-रिजर्व्ड ब्लॉक में जमीन अलॉट की थी, उनकी संख्या करीब एक हजार के ऊपर थी। उसके बाद सन् 2002-03 में लाइसेंस दिए गए और यह कहा गया कि जो जहां पर बैठा है, वह उस जमीन को छोड़ कर डी-रिजर्व्ड ब्लॉक में जाए। लेकिन वह जमीन जीने और रहने के लायक नहीं है। इसके पश्चात् सी.ई.सी. कमेटी को दिखाया कि वहां बड़ा पेड़ खड़ा है, पानी खड़ा है, मेंगरोव खड़ा है, जमीन पथरीली है और भी कई चीजें दिखाई गई। सीईसी कमेटी में कहा गया था कि इन्हें अल्टरनेटिव लैंड दें ताकि ये ठीक से अपना जीवनयापन कर सकें। उसके पश्चात् सन् 2006 में अनपढ़ लोगों से जमीन हैंडओवर करके/पोजिशन सर्टिफिकेट देकर हस्ताक्षर ले लिए। इसके पश्चात् प्रशासन और वन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की और एक्स सीटू फोरेस्ट एनकोचर्स जहां बैठा था, वहां खेतीबाड़ी कर रहा था। अचानक सितम्बर, 20 को एक ज्वाइंट सर्वे कमेटी फिर बनाई गई। उसमें भी यह देखा गया कि सचमुच वह जमीन बैठने के लायक नहीं है।

महोदय, उसके पश्चात् हमारे प्रशासन ने 12 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक एक एविक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत बुलडोजर और पुलिस की सहायता से तबाह कर के इलाके को खाली करा लिया जाएगा। इसलिए आई.डी.ए. मीटिंग में 19 जनवरी, 2004 को यह फैसला हुआ था कि जो लोग पोस्ट-78 से हैं, उन्हें 3 बीघा जमीन मिलेगी, 75 हजार रुपए और दो साल के लिए नौकरी आदि-आदि मिलेगी। इस पैकेज की घोषणा हुई थी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2004 में जो घोषणा हुई थी, उसमें वर्ष 2005 में कुछ तब्दीलियां कर दी गई और फिर कहा गया कि 350 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। यदि ऐसा होगा, तो वे लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे?

इस कारण आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 4312, पोस्ट 78 परिवार, करीब 500 परिवार ex situ परिवार मुश्किलात में हैं, वे जहां बैठे हैं, उनसे वह जगह खाली कराई जाएगी और जहां एलाटमेंट किया है, वहां यानी उस जगह पर कोई और बैठे हुए हैं या जंगल हैं। शेडयूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट्स ड्वैलर्स एक्ट, 2006 के मुताबिक जिस जमीन पर जंगल में जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है उन्हें वहां उतनी जमीन दी जाए, लेकिन यह अधिकार उन्हें नहीं मिला।

इसके अलावा 30 मंदिर, 35 चर्चेज, 1 क्लब, 1 मस्जीद आदि को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 में जो शेडयूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट्स ड्वैलर्स एक्ट, 2066 बनया उस एक्ट से अंडमान निकोबार के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। सरकार सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग को ध्यान में न रखते हुए, अंडमान को देखते हुए, लोगों को बचाएं, नहीं तो लोगों में खून-खराबा होगा, लोग मर जाएंगे और लोग रोते रहेंगे। जय हिन्द।